

दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 825

दिनांक: 31/12/2024

आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा., विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ माली को उद्यान पर्यवेक्षक (Garden Supervisor) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 4 (25,500 - 81,100/- रु.) में (जो कि छठे वेतन आयोग में 5200-20200/-रु. के पे बैंड में 2400/- रु. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं। यह आदेश दिनांक 01.01.2025 से प्रभावी होगा।

क्रम सं./ वरि. सं.	नाम व पिता / पति का नाम [UID]	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/9	श्री भाग चंद मीणा सुपुत्र श्री राम प्रताप मीणा Sh. Bhag Chand Meena S/o Sh. Ram Pratap Meena [UID- 5405004]	उद्यान खंड - IV
2/16	श्री शक्ति सिंह मीणा सुपुत्र श्री केदार लाल मीणा Sh. Shakti Singh Meena S/o Sh. Kedar Lal Meena [UID- 2712002]	उद्यान खंड - IV
3/23	श्रीमती लज्जावती धर्मपत्नी श्री श्याम सिंह Smt. Lajjawati W/o Sh. Shyam Singh [UID- 4611002]	उद्यान खंड - I

2. यदि उपरोक्त कर्मचारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत 5200-20200/- रु. के वेतनमान में 2400/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 4 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 4 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. यह पदोन्नति प्रोविज़नल है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अवमानना याचिका संख्या 314/2016 और एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 4831/2012 के परिणाम के अधीन हैं।

4. उद्यान पर्यवेक्षक के पद पर उपरोक्त कर्मचारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें आगे की तैनाती हेतु उप निदेशक (कार्मिक)-II को रिपोर्ट करने का आदेश किया है। उनकी पदोन्नति उनके नए पद पर तैनाती की तिथि से प्रभावी होगी।



(प्रमोद कुमार)

उप निदेशक (गोपनीय)

दिनांक:- 31/12/24

सं-एफ.10(89)2024/सी.सी./2075

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
2. आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक)- I, II / सतर्कता-I एवं II, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. उप निदेशक (कार्मिक)-II, III, IV / सतर्कता(प्रशा.) / आरक्षण कक्ष, दि.वि.प्रा.।
5. उप निदेशक (उद्यान) - I, IV, दि.वि.प्रा.।
6. उप मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा), दि.वि.प्रा.।
7. उप निदेशक (प्रणाली)/ पी.एम.आई.एस., दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us-> Organisation-> Personnel-> Promotions)

8. उप मुख्य लेखा अधिकारी (सी.ए.यू.)-उद्यान / आहरण एवं संवितरण अधिकारी (उद्यान खंड)-I,IV, दि.वि.प्रा. ।
9. सहायक निदेशक (कार्मिक)- IV, II / पी.एम.आई.एस./ गोपनीय कक्ष-II / प्रणाली, दि.वि.प्रा. ।
10. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
11. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल ।

मेघना
31/12/2024

(मेघना त्यागी)

सहायक निदेशक (गोपनीय)